सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस

दिनांक –21.08.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 01 अभियोग में 01 अभियुक्त को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विभिन्न मुकदमों में सजा पाये अभियुक्तगणों का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण–अभियुक्त रामबहादुर पुत्र रामनारायण निवासी ग्राम खडगुई पुरवा थाना सिरसाकलार जनपद जालौन द्वारा मुकदमा वादिया श्रीमती कीर्ती निवासी ग्राम खडगुई पुरवा थाना सिरसाकलार के पति सुनील कुमार के साथ मारपीट कर मरणासन्न कर देने पर उपचार हेतु ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गयी थी। जिसके संबन्ध में थाना सिरसाकलार में मु0अ0सं0 84/2018 (वाद संख्या- 09/19) धारा 147/304 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 21.08.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त रामबहादुर उपरोक्त को दोषी पाते हुये धारा 304 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25,000/- हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।